



उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(शिविर कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक)

'अरण्य विकास भवन', 73-नेहरू रोड, देहरादून, दूरभाष : 0135-2657610, फ़ैक्स : 0135-2655488

पत्रांक-वि०- 4029 /16-2-1 (ख)/जलौनी आपूर्ति (बी०पी०एल०)

दिनांक : 9 अक्टूबर 2019

सेवा में,

1. समस्त अपर प्रबन्ध निदेश /महाप्रबन्धक,
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रभागीय प्रबन्धक,

उत्तराखण्ड वन विकास निगम,

विषय :-

प्रबन्ध मण्डल की 68वीं बैठक दिनांक 30.07.2019 के मद सं०-23 (11) में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में राज्य में बी०पी०एल० परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अन्तिम संस्कार हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा निःशुल्क जलौनी उपलब्ध की सुविधा अन्त्योदय (लाल कार्ड धारकों) को भी अनुमन्य किए जाने बावत।

संदर्भ:-

इस कार्यालय का पत्रांक (1) वि०-2795/16-2-1(ख)/जलौनी आपूर्ति (बी०पी०एल०)दि. 13, अगस्त 2019 तथा पत्रांक (2) वि०-3129/16-2-1(ख)/जलौनी आपूर्ति (बी०पी०एल०)दि. 27.08.2019

महोदय

उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा प्रबन्ध मण्डल की 68वीं बैठक दिनांक 30.07.2019 के मद सं०-23 (11) में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में राज्य में बी०पी०एल० परिवार (सफेद कार्ड) के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अन्तिम संस्कार हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा निःशुल्क जलौनी उपलब्ध कराए जाने बावत निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त सुविधा अन्त्योदय (लाल कार्ड धारकों) हेतु भी अनुमन्य की जाती है।

इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सुविधा का यथा आवश्यक प्रचार-प्रसार भी किया जाए और सम्बन्धित प्रकाश विक्रय डिपो/फुटकर विक्री डिपो/टाल में इस आशय की पठनीय सूचना जैसे फ्लैक्स/साईन बोर्ड के माध्यम से भी प्रदर्शित की जाए।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें, यदि कोई व्यवहारिक कठिनाई हो तो अवगत कराते हुए सक्षम स्तर से निराकरण करा लिया जाए।

भवदीय

(मोनिष मल्लिक)

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :- वि०-4029 /तददिनांकित /

प्रतिलिपि:-निम्न को उपरोक्तानुसार संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-मा० अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. समस्त प्रबन्धक/अधिकारी, मुख्यालय, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
4. प्रभारी आई०टी०सेल० मुख्यालय, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को वन निगम वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु
5. प्रति-(1) शिविर पत्रावली (2) गार्ड फाईल।

(मोनिष मल्लिक)

प्रबन्ध निदेशक